हरियाणा के राज्यपाल ने रोहतक अग्निकांड में मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 11 जून : हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने रोहतक के डी-पार्क मार्केट में आग लगने की दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है।09 जून को रोहतक के सबसे पुराने एवं व्यस्त बाजार क्षेत्रों में से एक डी-पार्क मार्केट में लगी भीषण आग की दुखद घटना में तीन लोगों की मृत्यु हो गई। अनेक दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। राज्यपाल ने उपायुक्त रोहतक को शीघ्र रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। प्रशासन को निर्देश दिए कि घटना में घायल हुए सभी लोगों को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए।

नगर निगम पार्षदों ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ कर बैठक कर बिजली से सम्बंधित रखी समस्याएं

सवेरा न्यूज/सुनील कुमार

सोनीपत, 11 जून : नगर निगम पार्षदों ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों को बदलने, टूट चुके खम्बे बदलने, नए ट्रांसफार्मर लगाने, ट्रांसफॉर्मरों की अर्थिंग ठीक करने, जमीन से थोड़ा ऊँचे रखे ट्रांसफॉर्मरों पर जाली लगाने, गलियों में तारों के जंजाल ख़त्म करने से सम्बंधित समस्याएं रखी।

बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर राजीव जैन ने की। बैठक में बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता रणबीर देशवाल, आर के शर्मा, उपमंडल अभियंता कार्तिक रोहिल्ला, प्रदीप खोखर समेत अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आश्वाशन दिया कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए जिन कार्यों को करने में बिजली निर्बाध गति से मिले उन कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा।

राजीव जैन ने बैठक में सड़कों पर पड़े खम्बे हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि पार्षदों द्वारा रखी गई समस्याओं का समाधान किया जाये। उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी एमर्जेन्सी में पार्षदों का फोन नहीं उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को एक एक करके रखा ऑफ़ उनका समाधान करने की मांग की। बैठक में पार्षद सुरेंद्र मदान, त्रिभुवन कौशिक, मुकेश सैनी, निशा मोनू, मुनिराम ठोलेदार, मीणा रामनिवास, संजय ठेकेदार, संगीता देवेंद्र सैनी, लक्ष्मी नारायण तनेजा, महेश लूथरा, किरण राजेंद्र चांदना, संजीव वलेचा, अनुराग जैन, सुनीता कालूपुर, सुनीता ब्रह्मप्रकाश राठी, राजेश मलिक, राजकुमार शर्मा, संजय बड़वासनी आदि उपस्थित रहे।

सार्वजनिक सूचना

कार्यालयवार को सूचित किया जाता है कि प्रॉपर्टी आई.डी. संख्या 7C84WP73, 7CJHH646 जो स्वर्गीय शर्मा देवी के नाम दर्ज है, उसके स्वामित्व हस्तांतरण हेतु आवेदन नगर परिषद, हासांसी में ऋषि कुमार पुत्र स्वर्गीय नरेश सिंह, निवासी वार्ड नं. 12, हासांसी, तहसील हासांसी, जिला सोनीपत ने तथाकथित के माध्यम से आवेदन देकर बताया है कि स्वर्गीय शर्मा देवी का देहांत दिनांक 04.06.2020 को हो चुका है। स्वर्गीय शर्मा देवी की वसीयत के अनुसार उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय नरेश सिंह ने, जिनका देहांत दिनांक 13.12.2017 को हो चुका है। स्वर्गीय नरेश सिंह के पश्चात निम्नलिखित वैध वारिस हैं—श्रीमती कमलेश देवी (पत्नी)श्रीमती कुमार (पुत्र) कुलदीप कुमार (पुत्र),रिंकू (पुत्री),रेनू (पुत्री) ,प्रमोद देवी (पुत्री)यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य किसी पक्ष को उक्त प्रॉपर्टी आई.डी. संख्या 7C84WP73, 7CJHH646 के स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में कोई आपत्ति, दावा अथवा अधिकार हो, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर विधिवत प्रमाण सहित नगर परिषद, हासांसी अथवा आवेदकगणों के समक्ष प्रस्तुत करें।निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नियमानुसार वारिसों के पक्ष में कर दिया जाएगा। जिसकी नगर परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

PUBLIC NOTICE

It hereby informs to general public at large that Santosh wife of Thaman RioVillage Hassinga, Tehsil Ratia, District Fatehabad Haryanahave applied to avail Secured loan on property from AU SMALL FINANCE BANK LIMITED have its branch office at Fatehabad, Haryana on their Plot-House LGD No. 603230312 and UID No.-Property code. 603230EPAS100PH0312Ahaving total area of 177.83 Sq.mtrs., situated in the Lal Dora of Village Hassinga, Tehsil Ratia, District Fatehabad Haryana.That according to the above applicant/ borrower, he is owner of the above said land videCertificate/Deed of Title/Ownership no. 5637 duly dated 27.08.2021 registered in the office of Sub Registrar Ratiaand he is sole owner of the above property and there is no other co sharer in this property. According to the abovesaidborrower/mortgagor, theSwamitav Patra of the above mentioned property has not been issued by BDO/DC office. If anybody have any right/title/ litigation/claim or claiming any prior rights or interest in any manner in the above mentioned property as per registered sale certificate or Swamitav Patra, then may approach the undersigned and submit objection within 7 days from the date of this public notice. After the expiry of period of this no claim shall be entertained and such claim shall be deemed to be false, fake, frivolous, fraudulent and baseless claim and shall have no value in the eyes of law.

YOGESH MEHTA, ADVOCATE
Chamber No. 148, District Courts, Fatehabad
Mob: - 7357277777

नगर निगम रोहतक सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रोहतक की वार प्राप्ता के संपत्तिकार के रिकॉर्ड में वई प्रॉपर्टी आई.डी .नंबर 1HP7RKH1 पुरानी प्रॉपर्टी आई.डी .नंबर 224C3501U48 चार्ज नंबर / पता Janta Colony 4B पुराने एच.डी.सी रिकॉर्ड में Rohtamber S/O Shyam Lal के नाम के अनुसार था एच.डी.सी रिकॉर्ड में Om Pati नाम से दर्ज है अब नगर निगम के रिकॉर्ड में इस आईडी नंबर में प्रार्थी जिसका नाम ओमती ओमपति विधवा, संजीव पत्र, विकास पुत्र , किरण पुत्री , मन्जू पुत्री व अन्जू पुत्री स्व० को विरासत उत्तराधिकार के द्वारा वसीयत /वारसान के आधार पर अपने नाम तबदील करवाना चाहते हैं जिसकी वारसान रिपोर्ट तहसीलदार , रोहतक द्वारा तसदीक की गई है यदि किसी भी जनसाधारण को इनके नाम तबदील करने में कोई भी आपत्ति है तो 30 दिन के अन्दर अन्दर नगर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवाये अन्यथा प्रॉपर्टी टैक्स में उनके नाम तबदील कर दी जाएगी जिसके लिए नगर निगम ,रोहतक कोई उत्तरदायी नहीं होगा

क्रमांक MCR/ZTO/2026/958 दिनांक 11/06/26
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी नगर निगम रोहतक

सार्वजनिक सूचना

स्वर्गीय श्रीमती भोमा देवी पत्नी श्री केशरी चंद, निवासी गली पारखों वाली, नोहरिया बाजार, सिरसा का निधन दिनांक 05-09-2025 को हो गया है। उनके वारिस श्री केशरी चंद (पति), श्री हरीश कुमार (पुत्र) एवं श्री सुभाष चंद (पुत्र) हैं। (पुरानी संपत्ति आईडी: 5/85) नई संपत्ति आईडी (Property ID): SRS/B05/0037। यदि किसी व्यक्ति को उक्त वारिसान अथवा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा/आपत्ति हो तो वह 30 दिन के भीतर तहसीलदार, सिरसा के समक्ष अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा वारिसान तस्दीक की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जाएगी।

कार्यालय नगरनिगम यमुनानगर जगाधरी

यूनिट नं0 / सम्पत्ति आई. डी. 1KNKVBM0 जो पुराना एरिया पटरी मौहल्ला मे स्थित है। नगर निगम के गृहकर रिकॉर्ड में विकास सेठी, स्वराज सेठी, समेश सेठी, शिवानी कुक्कल, महिमा सेठी के नाम दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दर्शन लाल सेठी की मृत्यु 24.07.2016 को हो चुकी है। अब इस संपत्ति के कानूनी वारसान विकास सेठी, स्वराज सेठी ने वसीयत/वारसान रिपोर्ट के आधार पर गृह कर रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज करने वाले आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अनुसार गृहकर रिकॉर्ड में इन्द्राज करने / मालकियत बदलने बारे कोई एतराज हो तो वह इस प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के अंदर अंदर नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इस अवधि के पश्चात कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, यमुनानगर जगाधरी।

PUBLIC NOTICE

That Plot No.300, Sec-57, HSIIDC, Phase-IV, Kundli, I.E. Sonepat, area measuring 450 sq mtr was Re-allotted by the Corporation to Late Sh. Dalip Singh S/o Sh. Maha Singh R/o 186, Pana Sadh, Khera Khurd, Khera Kalan, North West Delhi-110082 vide Re-Allotment Letter No: 4696 Dated 12/12/2018 where Late Sh. DALIP SINGH (now deceased). The Corporation has been informed that Sh. Dalip Singh has expired on 11/01/2026. The legal heirs of the deceased allottee are namely (a) Mr. Himanshu S/o Late Sh. Narendar relation with deceased (Grand Son)(b) Mr. Maan Singh S/o late Sh. Devender (Grand Son) (c) Smt. Manjeet W/o Late Sh. Devender S/o Late Sh. Dalip Singh (Daughter in Law)(d) Mrs. Priyanka D/o Late Sh. Devender S/o Late Sh. Dalip Singh (Grand Daughter) (Daughter) (e) Smt. Raj Bala Rathee D/o Late Sh. Dalip Singh (f) Smt. Sudesh W/o Late Sh. Narendar S/o Late Sh. Dalip Singh (Daughter in Law)(g) Mrs. Sujata D/o Late Sh. Devender S/o Late Sh. Dalip Singh (Grand Daughter)(H) Smt. Sumitra Devi D/o Late Sh. Dalip Singh(Daughter)(1) Mrs. Varsha Mann D/o Late Sh. Devender S/o Late Sh. Dalip Singh(Grand Daughter)As per the family settlement, all the legal heirs decided to transfer the said Plot/the allottee rights of the captioned plot be transferred in favour of LEGAL HEIRS and deceased Grand sons (in family blood relation) namely (1) Mr. Himanshu S/o Sh. Narendar S/o Late Sh. Dalip Singh and (2). Mr. Maan Singh S/o Sh. Devender S/o Late Sh. Dalip Singh both are the R/o F-51, Near MCD PR School, Khera Khurd, Khera Kalan, North West Delhi-110082. All the legal heirs have approached the Corporation for the transfer of the plot in question in favour of (1) Mr. Himanshu and (2). Mr. Maan Singh (joint Applicants). The Corporation is in the process of considering their request and transferring the said plot in favour of (1) Mr. Himanshu and (2). Mr. Maan Singh. Through the Public Notice, it is hereby informed that any person having reservation/objection to the said family transfer may file his/her objection in writing before the undersigned along with an affidavit within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. In case no response within the aforesaid period, it will be presumed that no one has any objection to transfer of the captioned plot in favour of (1) Mr. Himanshu and (2). Mr. Maan Singh and the Corporation shall go ahead with the transfer of plot in favour (1) Mr. Himanshu (Grand son) (2). Mr. Maan Singh (Grand SON)

सार्वजनिक सूचना

इस पब्लिक नोटिस के मार्फत जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मुरीदवीर सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री पाल सिंह निवासी पिलखुनी , अम्बाला छावनी ने अपने पिता के कानूनी वारिस की रिपोर्ट जारी करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व सलंग्न हलफनामा व रिपोर्ट पार्षद / नम्बरदार/पटवारी अनुसार मृतक स्व. श्री पाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री चंदन सिंह के निम्नलिखित कानूनी वारिस है :- 1. मुरीदवीर सिंह पुत्र 2. कर्मजीत और पुत्री यदि इस उपरोक्त वारसान रिपोर्ट बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह तहसीलदार अम्बाला छावनी के कार्यालय मे प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर अन्दर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना किसी भी संवैधिन कानूनी के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

तहसीलदार, अम्बाला छावनी

खंड शिक्षा अधिकारी व खंड संसाधन संयोजक इजार नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की खंड शिक्षा अधिकारी व खंड संसाधन संयोजक समग्र शिक्षा ऑफिस इजार में नकारा व रही सामान है जिसकी खुली नीलामी की जानी है जो कि दिनांक 22.06.2026 सोमवार को सुबह 11:00 बजे शुरू की जाएगी अंत इच्छुक कबाड़ी एवं फर्म ऑफिस मे आकर सामान खरीद सकते हैं जो सबसे ज्यादा रेट लगाएगा उसको सामान बेच दिया जाएगा। नियम व शर्तें मौके पर बता दी जाएगी बोली को निरस्त करने का अधिकार कमेटी के पास होगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - 8168197694
B.E.O. cum B.R.C. JHAJJAR

PUBLIC NOTICE

It hereby informs to general public that Smt. Mamta wife of Ramesh Kumar R/o village Keharwala Tehsil Rania Distt. Sirsa are owned A Property ID no. 3RC4CWY2, bearing area measuring 03 Marla 03 Sarsai, or to say 101 sq. yards, i.e. 02 Marla 01 Sarsai, being 19/270 share out of 01K.10M. comprised in sq. no. 55 killa no. 22/4(1-10) in khkh. No. 216/1452 – and 01 Marla 02 Sarsai, being 11/2880 share out of 16K.0M. comprised in sq. no. 55 killa no. 12(8-0) 19(8-0) in khkh. No. 1219/1455 situated at village Khaza Khera Tehsil & distt. Sirsa, vide Sale deed no. 1538 dated 13-05-2024 registered in the office of Sub Registrar Sirsa. respectively. The have informed that the have lost have previous Original Sale Deed No. 5820 dated 10-11-2014 registered in the office of Sub Registrar, Sirsa. If found please contact within 7 days to the undersigned form the dated of this Public notice.

Amit Goyal, Advocate Chamber No. 141
Distt. Courts. Sirsa. Mob:-9896161409

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका पुण्डरी के 2012-2013 के रिकॉर्ड के अनुसार प्रॉपर्टी आई डी 9C43U156 राधा के नाम दर्शाई हुई है। राधा ने उपरोक्त प्रॉपर्टी मैजस्ट्री प्रलेख संख्या 28 दिनांक 03-04-2018 के अनुसार इन्द्रावती पत्नी सुरेन्द्र को विक्रय कर दी गई थी जिनकी मृत्यु दिनांक 23/01/2023 को हो चुकी है (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न)। जिसमें इन्द्रावती पत्नी सुरेन्द्र के वारसानों मे ज्येष्ठम पुत्री सुरेन्द्र जोकि कुल 1 ही पटवारी वारसान रिपोर्ट अनुसार वारिस है। जिनकी तसदीक तहसील कार्यालय पुण्डरी द्वारा की गई है। इनके वारसानों द्वारा शिकायत बयान दिया गया है कि उक्त जायदाद का किसी भी प्रकार का वाद-विवाद ना है। इस जायदाद पर वर्तमान समय में किसी भी कोर्ट केस आदि ना है। अगर इसमें कुछ भी तथ्य छुपाया गया तो इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। अतः इस जायदाद को उक्त वारिस के नाम तबदील करने में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिन के अन्दर-2 अपनी आपत्ति नगरपालिका पुण्डरी के कार्यालय में दे सकता है। समयावधि गुजरने के बाद यह प्रॉपर्टी उक्त वारिस के नाम तबदील कर दी जाएगी।

सचिव, नगर पालिका पुंडरी

सार्वजनिक सूचना

प्रार्थी दिवाकर गौड़ पुत्र श्री रोशन लाल गौड़ निवासी सिरसा ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया है कि प्रॉपर्टी आईडी SRS/B02/024 व नई आईडी 3RH5MDR8 जोकि नगरपरिषद सिरसा में श्रीमती दमयंती देवी पत्नी श्री रोशन लाल व ममता रानी पुत्री श्री रोशन लाल के हक में है व प्रॉपर्टी आईडी SRS/B18/165 व नई आईडी 3RT3NAQ9 जोकि नगरपरिषद सिरसा में श्रीमती दमयंती देवी पत्नी श्री रोशन लाल के हक में है। यह है कि मेरी माता श्रीमती दमयंती देवी पत्नी श्री रोशन लाल का स्वर्गवास दिनांक 10.05.2021 को हो चुका है व मेरे पिता श्री रोशन लाल पुत्र श्री राम प्रताप का स्वर्गवास दिनांक 30.04.2021 को हो चुका है व मेरी दादी श्रीमती चमेली देवी का स्वर्गवास भी दिनांक 20.12.2009 को हो चुका है। यह है कि इनके स्वर्गवास के उपरांत एस आर सिरसा के अनुसार 1- ममता रानी पुत्री, 2-दीपा शर्मा पुत्री 3-दिवाकर गौड़ पुत्र स्व. श्री रोशन लाल पुत्र श्री राम प्रताप निवासीगण सिरसा हर तीन समभाग मालिक व काबिज बने हैं। उपरोक्त के अलावा मृतक का अन्य कोई वारिस ना है। अतः इस नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस तबदीली मलकीयत पर किसी आम व खास को कोई एतराज हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर-अंदर मेरे कार्यालय में हाजिर आकर असलतान या वकालतान अपना पक्ष पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद उपरोक्त यूनिट को मलकीयत वारसान के नाम पर तबदील कर दी जाएगी।

कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद, सिरसा

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मार्केट कमेटी थानेसर कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, नई अनाज मंडी, थानेसर में स्थित दुकान प्लॉट संख्या 23, आकार 20' x 85', श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम, श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, श्री अमन कुमार पुत्र श्री कालीचरण सिंह और श्री राम सरूप पुत्र श्री छोटा राम के नाम पर पंजीकृत है। श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी उमरी, थानेसर, कुरुक्षेत्र ने श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया है और इस कार्यालय को श्री प्रेम सिंह की मृत्यु की सूचना दी है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि नई अनाज मंडी, थानेसर में स्थित दुकान प्लॉट संख्या 23, में श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम का हिस्सा पारिवारिक समझौते के अनुसार उनके नाम पर हस्तांतरित किया जाए। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम के कानूनी उत्तराधिकारी 1. श्रीमती शांति देवी (पत्नी), 2. श्री राजिंदर कुमार (पुत्र), 3. श्री सुरेश कुमार (पुत्र) हैं। इस संबंध में, प्रत्येक आम नागरिक और खास व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दुकान प्लॉट आवंटक को हस्तांतरित करने में कोई आपत्ति है, तो वह प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज कराये, अन्यथा एच.एस.ए.एम. हरियाणा के नियमानुसार 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद दुकान प्लॉट संख्या 23, नई अनाज मंडी, थानेसर में श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम का हिस्सा श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी उमरी, थानेसर, कुरुक्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके बाद मार्केट कमेटी थानेसर कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी,
मार्केट कमेटी, थानेसर

सार्वजनिक सूचना

इस पब्लिक नोटिस के मार्फत जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सतपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री वैभव छाबड़ा निवासी मकान नम्बर 33, एकता विहार, अम्बाला छावनी ने अपने नाना ईशर दास भाटिया पुत्र श्री मेहर सिंह के कानूनी वारिस की रिपोर्ट जारी करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व सलंग्न हलफनामा व रिपोर्ट पार्षद / नम्बरदार / पटवारी अनुसार मृतक ईशर दास भाटिया पुत्र श्री मेहर सिंह के निम्नलिखित कानूनी वारिस है :- 1. अरुणा वर्मा (छोटी) 2. हर्षमीत छाबड़ा (छोटी) 3. रितु वर्मा (छोटी) यदि इस उपरोक्त वारसान रिपोर्ट बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह तहसीलदार अम्बाला छावनी के कार्यालय मे प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर अन्दर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना किसी भी संवैधिन कानूनी के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

तहसीलदार, अम्बाला छावनी

सार्वजनिक सूचना

(मूल विक्रय पत्र गुम होने की स्थिति में)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जसविंदर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी गाँव कसियल, जिला कुरुक्षेत्र (रहनकर्ता / खरीदार), सम्पति जिसका पूरा विवरण, एक मकान, रकबा 6 मरला, जो कि खेवट नं० 116 खसरा नं० 161, खसरा नं० 35/2/7(0-3), 35/2/8(0-3), कुल किता - 2 जमाबंदी साल 2023-24 के अनुसार गाँव कसियल तहसील बावैल, कुरुक्षेत्र मे स्थित है और वह हस्तांतरण पत्र 406 दिनांक 20.06.2024 से इस सम्पति का मालिक है, और वह मेरे मुवक्किल Truhome Finance Limited कुरुक्षेत्र के पास रहन करने को सहमत है। रहनकर्ता के अनुसार इस सम्पति से संबंधित मूल हस्तांतरण पत्र 4101 दिनांक 10.11.2021 (जो कि रणजीत सिंह ने श्री शेर सिंह के नाम किया है) गुम हो गया है। सभी व्यक्तियों जो इस सम्पति व इस के किसी भी भाग पर अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत करता है तो वह समूचे सहित इस नोटिस के साथ 7 दिन के अंदर निम्नलिखित पते पर आकर अपना दावा या आपत्ति पेश करे अन्यथा मियाद निकलने के बाद उक्त सम्पति मेरे मुवक्किल Truhome Finance Limited कुरुक्षेत्र, के नाम रहन कर दी जाएगी जिसको मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

अमितशर्मा, वकील, चैम्बरनंबर 335 जिला न्यायलय कुरुक्षेत्र (M): 94167-34318

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मार्केट कमेटी थानेसर कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, नई अनाज मंडी, थानेसर में स्थित दुकान प्लॉट संख्या 34, आकार 20' x 50', मेसर्स मेसर्स राम सम्मेलन दास के नाम पर पंजीकृत है। इसके बाद, आवंटन-आवंटकर्ता ने 04.08.1999 को सेल डीड नंबर 2222/1 के जरिए उक्त दुकान का आधा हिस्सा श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम को बेच दिया। अब श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी उमरी, थानेसर, कुरुक्षेत्र ने श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया है और इस कार्यालय को श्री प्रेम सिंह की मृत्यु की सूचना दी है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि नई अनाज मंडी, थानेसर में स्थित दुकान प्लॉट संख्या 34, में श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम का हिस्सा (सेल डीड नंबर 2222/1 दिनांक 04/08/1999 के अनुसार) पारिवारिक समझौते के अनुसार उनके नाम पर हस्तांतरित किया जाए। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम के कानूनी उत्तराधिकारी 1. श्रीमती शांति देवी (पत्नी), 2. श्री राजिंदर कुमार (पुत्र), 3. श्री सुरेश कुमार (पुत्र) हैं। इस संबंध में, प्रत्येक आम नागरिक और खास व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दुकान प्लॉट आवंटक को हस्तांतरित करने में कोई आपत्ति है, तो वह प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज कराये, अन्यथा एच.एस.ए.एम. हरियाणा के नियमानुसार 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद दुकान प्लॉट संख्या 23, नई अनाज मंडी, थानेसर में श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कर्ता राम का हिस्सा श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी उमरी, थानेसर, कुरुक्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके बाद मार्केट कमेटी थानेसर कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी,
मार्केट कमेटी, थानेसर

सार्वजनिक सूचना

इस पब्लिक नोटिस के मार्फत जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अशोक कुमार दिलबागी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री धरमजीत सहत दिलबागी निवासी 6341/25/2, आदालूमालिया हिल्टिप्, अम्बाला छावनी ने अपने पत्नी के कानूनी वारिस की रिपोर्ट जारी करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व सलंग्न हलफनामा व रिपोर्ट पार्षद / नम्बरदार/पटवारी अनुसार मृतक स्व. श्री निर्मल कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार दिलबागी के निम्नलिखित कानूनी वारिस है :- 1. अशोक कुमार दिलबागी पति 2. निर्मल दिलबागी पुत्र 3. अनमोल सहगल पुत्री यदि इस उपरोक्त वारसान रिपोर्ट बारे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह तहसीलदार अम्बाला छावनी के कार्यालय मे प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर अन्दर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना किसी भी संवैधिन कानूनी के तहत दण्ड का भागीदार होगा।

तहसीलदार, अम्बाला छावनी

न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी अम्बाला छावनी

रीमा बनाम राजपाल सिंह व अन्य कोर्ट नोटिस

नोटिस द्वारा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि पेश पत्नी श्री दीपक अग्रवाल निवासी वार्ड न. - 2420/2/3, विकासनगर महोल्ला सरायनी अम्बाला छावनी जिला अम्बाला ने कब्जा सूमि इकरामा न.-43, खेवा न.-123 /125, खतौनी न.-127, खसरा नं0-34/3,4,7,8/1, 10/3, 14, 16/1, 19/1, 21/2, 22/2, 23, 30/1/2,2,3 में कब्जा रकबा 44 कनाल 2 मरले में से काटे 5 कनाल। मात्रा-5 मरलाई की, स्थित व कब्जा 34/3,4 पर है। जोकि मौजा कबाला, जमाबन्दी 2020-2021 के अनुसार तहसील अम्बाला छावनी जिला अम्बाला की तबदील दुरुस्ती का दावा निम्नलिखित राजपाल सिंह पुत्र राम सिंह, जय पाल सिंह पुत्र राम सिंह, जोगेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह, सुरेश सिंह पुत्र हरनाम सिंह, सोहन कुमार पुत्र सत, राजकुमार पुत्र हरनाम सिंह, अशोक कुमार पुत्र सत, राजकुमार पुत्र हरनाम सिंह, मनोज पुत्री सत, राजकुमार पुत्र हरनाम सिंह, निरंजनदेवी पुत्री राजकुमार सिंह, रमेश चन्द पुत्र पदम सिंह, जय कुमार पुत्र पदम सिंह, देवानन्दी पुत्री पदम सिंह, त्रिलोचनी पुत्री पदम सिंह, अनिल देवी पुत्री कमिल सिंह, सतीश देवी पुत्री कमिल सिंह, अनिल सिंह पुत्र राम सिंह, रमेश कुमार पुत्र राम सिंह, अनिल पुत्री राम सिंह, अनिल कुमार पुत्र राम सिंह देवी पुत्री लोचनी देवी, विकास सिंह पुत्र राम सिंह देवी पुत्री लोचनी देवी, औलादी पुत्रीदेवी देवी पुत्री सोहन देवी पुत्री लोचन देवी, नीरज देवी पुत्री सोहन देवी पुत्री लोचन देवी, कमलेश सिंह पुत्र औलादी पुत्रीदेवी, अमरजीत सिंह पुत्र औलादी पुत्रीदेवी, अमरजीत सिंह पुत्र औलादी पुत्रीदेवी, रमेश कुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, औलादी पुत्रीदेवी पुत्री सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र सत, रमेशकुमार पुत्र